

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28112025-268069
SG-DL-E-28112025-268069

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28, 2025/अग्रहायण 7, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 344
No. 363]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 28, 2025/AGRAHAYANA 7, 1947	[N. C. T. D. No. 344

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 नवम्बर, 2025

फा.नं. 13 (575)/ यूडी/एलबी -I/ अधिसूचना एनडीएमसी /2024/ 1398.— निम्नलिखित सामान्य जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है-

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2025

फा.नं.14011/38/2014-दिल्ली-II- नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 253 की उप) धारा-1) और)2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की भूभागीय- सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 247 और धारा 254 के अंतर्गत अधिमत अपीलों पर निर्णय करने

के लिए अपीलीय अधिकरण का गठन करती है और दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अमित कुमार को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है।

[फा.स.14011/38/2014-दिल्ली-II]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

आदेश से

ए.के. सिंह, विशेष सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th November, 2025

F.No. 13(575)/UD/LB-I/Notification NDMC/2024/ 1398 :- The following is published for general information:

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2025

F.No.14011/38/2014-Delhi-II).-in exercise of powers conferred by sub section (1) and (2) of section 253 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government hereby constitutes the Appellate Tribunal for deciding appeals preferred under section 247 and section 254 of the said Act, within the territorial limits of the National Capital Territory of Delhi, and appoints Shri Amit Kumar, an officer of Delhi Higher Judicial Service, as the Presiding Officer of the said Tribunal, with effect from the date of publication of this notification.

[F.No.14011/38/2014-Delhi-II]

(PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.

By Order

A.K SINGH, Spl. Secy. (UD)